न्यायालय तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 01 / 2022 किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0 पनेर बनाम भागचन्द, सर्वेश्वर पिता घनश्यामलाल
अभिषेक पिता लीलाधर
जाति महाजन निवासी पनेर

निर्णय दिनांकः–27.01.2022

पत्रावली पेश हुयी। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम पनेर के आराजी खसरा नंबर 355 किस्म गै0मु0रास्ता रकबा 0.0161 है0 पर पक्की दीवार बनाकर कब्जा कर लिया। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।

अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे शा. मि. किया गया। पटवार हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट पटवारी अनुसार मौके पर अतिक्रमण है। हमने दोनो पक्षों के जवाब पर मनन किया। पटवारी हल्के की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम पनेर के आराजी खसरा नंबर 355 किस्म गै0मु0रास्ता रकबा 0.0161 है0 भूमि पर लगान 0.01 का 50 गुणा 01 रु. रुपये जुर्माना किया जाता है । पटवारी / टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली बाद दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार रुपनगढ
रुपनगढ (अजमेर)

वर्ष 2021-22 रा.ले.सं.4 के पृष्ठ संख्या 88 पर रु. की मांग कायमी की गई।
तहसील राजस्व लेखा.कार 27/1/22